

**GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)**  
**MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)**  
**(RAILWAY BOARD)**

No.2013/TG-I/20/P/PRS Ticket Pt.II      New Delhi, Dated:23.08.2018

**The Principal Chief Commercial Managers,  
All Zonal Railways.**

**(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 44 OF 2018)**

**Sub: Discontinuation of pasting of reservation charts on train coaches.**

Please refer to this office letter of even number dated 13.02.2018 (CC No. 10 of 2018) wherein Zonal Railways were advised to discontinue pasting of reservation charts on reserved coaches of trains at all erstwhile A1, a & B category of stations as a pilot project for six months starting from 01.03.2018.

2. Based on the feedback received from Zonal Railways, the matter has been reviewed and it has been decided that pasting of reservation charts on the reserved coaches on the trains should be discontinued at all stations w.e.f. 01.09.2018. Physical/digital charts will, however, continue to be displayed at the platforms of the train. At those locations where electronic charts display plasma have been installed and the same are functioning properly, Zonal Railways may stop displaying of physical reservation charts at such platforms also, making this process totally paperless. A constant vigil should, however, be kept at such platforms to ensure that electronic charts display are functioning properly and in case of their non-functioning immediate action should be taken to display physical charts at such platforms.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly under intimation to this office.



**(Shelly Srivastava)**  
**Director Passenger Marketing**  
**Railway Board**

-2/-

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T),EDFC,DF(C),PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC,B 148,11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi -110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. DG, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central Railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation ( AIRF), 4, State Entry Road,New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

\*\*\*\*\*

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

\*\*\*\*\*

सं. 2013/टीजी-1/20/पी/पीआरएस टिकट पार्ट II

नई दिल्ली, दिनांक: 23.08.2018

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,  
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 44)

विषय: गाड़ी के सवारी डिब्बों पर आरक्षित चार्ट चिपकाना बंद करना।

कृपया इस कार्यालय में दिनांक 13.02.2018 के समसंख्यक पत्र (2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.10) का अवलोकन करें, जिसमें क्षेत्रीय रेलों को सभी पूर्ववर्ती ए1, ए और बी कोटि के स्टेशनों पर प्रायोगिक परियोजना के आधार पर 01.03.2018 से छह माह तक गाड़ियों के आरक्षित सवारी डिब्बों पर आरक्षण चार्टों को चिपकाना बंद करने के लिए कहा गया था।

2. क्षेत्रीय रेलों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, मामले की समीक्षा की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि दिनांक 01.09.2018 से सभी स्टेशनों पर गाड़ियों के आरक्षित सवारी डिब्बों पर आरक्षण चार्ट चिपकाना बंद कर दिया जाए। बहरहाल गाड़ी के प्लेटफार्म पर वास्तविक/डिजिटल चार्ट लगाए जाते रहेंगे। जिन स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्पले प्लाज्मा लगाए गए हैं और सही ढंग से काम कर रहे हैं, क्षेत्रीय रेलें ऐसे प्लेटफार्मों पर भी वास्तविक आरक्षण चार्ट लगाना बंद कर सकती हैं, जिससे यह प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी। बहरहाल, ऐसे प्लेटफार्मों पर सतत निगरानी रखी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्पले सही ढंग से कार्य कर रहे हैं और उनके कार्य न करने के मामले में ऐसे प्लेटफार्मों पर वास्तविक डिस्पले चार्ट लगाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

3. इस कार्यालय को अवगत कराते हुए सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।



(शैली श्रीवास्तव)

निदेशक यात्री विपणन

रेलवे बोर्ड

- 2/-

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1) सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें
- 2) कार्य निदेशक सतर्कता(यातायात), कार्य निदेशक वित्त वाणिज्य, निदेशक वित्त (वाणिज्य), प्रधान निजी सचिव/एफसी, ओएसडी/टीसी, एफ(सी) और वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड
- 3) प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
- 4) महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्यिक, एनएआईआर, वडोदरा
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर
- 7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 226011
- 8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली
- 9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली
- 10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली
- 11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
- 12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली
- 13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71